

UPSP010075082026



न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-10/विशेष न्यायाधीश
(औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम), सहारनपुर।

पीठासीन अधिकारी- श्री संजय कुमार-V, उच्चतर न्यायिक सेवा।

J.O. Code- UP1773

द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र संख्या- 3193/2026

हनी वर्मा पुत्र प्रेम वर्मा निवासी पीतल नगरी, कमला विहार, कटघर, जिला मुरादाबाद।

..... प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी।

मु०अ०सं०- 228/2022

धारा-307 भा०द०सं०

थाना-गागलहेडी, सहारनपुर।

20.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **हनी वर्मा** की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त गैर जमानतीय वारंट पर दिनांक 06.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा के अन्तर्गत कारागार में निरुद्ध है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र में कथन किया गया है कि वह बेगुनाह है तथा उसको झूठा वाकात पर मुलजिम होना बताया गया है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसका वाद उपरोक्त की कथित घटना से कोई मतलब नहीं है। उसे उपरोक्त वाद में झूठा फंसाया गया है। जो तथाकथित बरामदगी बतायी गयी है। वह फर्जी एवं झूठी है। वाद उक्त से संबंधित प्रपत्रों एवं साक्ष्यों से उसके विरुद्ध जुर्म किसी प्रकार का नहीं बनात है और उसका सहअभियुक्तगण से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह पूर्व में जमानत पर था और उसको वारंट पर बुलंदशहर कारागार से तलब फरमाया गया है। वह उचित जमानत देने को तैयार है। अतः जमानत दिये जाने की याचना की गयी है।

उक्त जमानत प्रार्थना-पत्र का विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा विरोध किया गया एवं जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त करने की याचना की गयी है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त **हनी वर्मा**, मु०अ०सं०- 228/2022 अंतर्गत धारा- 307 भारतीय दण्ड संहिता थाना-गागलहेडी, सहारनपुर में पूर्व से जमानत पर था, परन्तु उसके अनुपस्थित हो जाने के कारण उसके विरुद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र जारी किया गया, जिसके अनुपालन में अभियुक्त दिनांक 06.06.2026 से जिला कारागार, सहारनपुर में निरुद्ध है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों

एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत दिये जाने के आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त **हनी वर्मा** की ओर से मु०अ०सं० 228/2022 अंतर्गत धारा- 307 भारतीय दण्ड संहिता थाना-गागलहेडी, सहारनपुर में प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को उपरोक्त प्रकरण में **मु० 50,000 (पचास हजार)/- रुपये** के बंधपत्र व समान धनराशि के **दो विश्वसनीय प्रतिभू** प्रस्तुत करने पर दौरान वाद जमानत पर निम्न शर्तों के साथ रिहा किया जाये-

1. यह कि अभियुक्त द्वारा वाद में साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर न्यायालय में कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तथा उपस्थित साक्षी से बिना किसी विलम्ब के प्रतिपरीक्षा/साक्ष्य पूर्ण की जाएगी।
2. यह कि अभियुक्त द्वारा दौरान जमानत साक्षीगण को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं किया जायेगा।
3. यह कि अभियुक्त बयान अन्तर्गत धारा- 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता (धारा- 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के लिए नियत तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
4. यह कि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर उसकी जमानत विद्वान न्यायालय द्वारा विधिनुसार निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक 20.07.2026

(संजय कुमार-V)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या-10/विशेष न्यायाधीश,
(औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम)
सहारनपुर।

J.O. Code- UP1773